आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

25-11-21

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 154/2019-2020

(भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

भूदाता सुलेमान मियॉ, पिता-मदारी मियॉ, ग्राम-मखमीलपुर, थाना+अंचल -करपी, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
52	353	01 कठा	उतर-ईशाक मियॉ दक्षिण-गनी मियॉ पूरब-नीज पश्चिम-देवली मियॉ

मौजा- मखमीलपुर, थाना नं०-21, थाना+अंचल - करपी, जिला-अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं भूदान यज्ञ-दान पत्र के आलोक में वर्णित भूमि की जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी, करपी द्वारा बताया गया कि थाना नं0 21 अंचल करपी से संबंधित नहीं है। दान पत्र में वर्णित थाना नं0 21 अरवल अंचल से संबंधित है। भूदान दान पत्र में वर्णित भूमि की जॉच अंचल अधिकारी, अरवल से कराया गया अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा पत्रांक 877 दिनांक 30.07.202से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेद के आलोक में वर्तमान कब्जाधारी को न्यायाल से नोटिस निर्गत किया गया। भूदाता के तरफ से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा वर्णित भूमि के संबंध में आपति दर्ज किया गया। कब्जाधारी,न्यायालय में उपस्थित हुए उन्होने अपने आवेदन के साथ भूमि न्यायालय में उपस्थित हुए उन्होने अपने आवेदन के साथ भूमि का कागजात की छायाप्रति दाखिल किये।

भूदान यज्ञ-दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का अंगुठा का निशान अंकित है। इदृश मियॉ, गिरजा सिंह का गवाह में नाम दर्ज है। अंचल अधिकारी अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतीयान उपलब्ध नहीं है।भूदाता एवं खतियान धारक का पता नहीं चलता है। सकलदेव सिंह, पिता-रामलाल सिंह, ग्राम-मोकरी, थाना+जिला-अरवल के नाम पर जमावंदी संख्या 17/5 पर दर्ज है। जमावंदी रैयत एवं भूदाता का संबंध नहीं मिलता है। वर्ततान में भूमि पर सकलदेव सिंह, पिता-रामलाल सिंह दखल कब्जा में है। भूमि धनहर है। दानकर्ता के पता के अनुसार पता नहीं चलता है, खेसरा के अनुसार खाता 61 खेसरा संख्या 653 रकवा 08 डी0 है। भूमि रैयति खाते की है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

कब्जाधारी का कहना है कि खाता 52 खेसरा संख्या 353 रकवा 01 कठा भूमि पर मेरा दखल कब्जा नही है। उक्त खाता खेसरा के भूमि से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिता द्वारा भूदान यज्ञ के अन्तर्गत भूदान दान नहीं कर पाये है, तथा सुलेमान मियॉ, पिता-मदादी मियॉ, ग्राम-मखमीलपुर से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है।

भूदान दान पत्र पर मौजा मखमीलपुर थाना नं0 21 अंकित है, जवकि मौजा मखमीलपुर करपी अंचल से संबंधित है। जवकि थाना नं0 21 के अनुसार मौज मखदुमपुर कवीर में अवस्थित

है, जो ग्राम– मोकरी अचंल –अरवल से संबंधित है।

अतः भूदान यज्ञ दान पत्र में मौजा एवं थाना नं0 गलत है। अंचल अधिकारी अरवल के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार थाना नं0 21 मौजा मखदुमपुर कवीर ग्राम–मोकरी अंचल –अरवल में पड़ता है, जविक भूदाता द्वारा दान दिया गया भूमि मौजा मखमीलपुर का है। जिसे संपुष्ट करना उचित प्रतित नहीं होता है। दान पत्र को अंसपुष्ट किया जाता है । इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।